न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—94 / 2021 / 225 (2021 / 94)

1. श्रीमती केसर पत्नि रामकरण जाति गुर्जर
2. हेमराज पुत्र रामकरण जाति गुर्जर
3. निम्बा पुत्र प्रताप जाति गुर्जर
4. श्रीमती कमला पत्नि नारायण उर्फ मगना जाति गुर्जर
5. कन्हैया पुत्र नारायण उर्फ मगना जाति गुर्जर
6. भंवरलाल पुत्र सांवता जाति गुर्जर(फौत) जरिये वारिसः—
   6 / 1— श्रीमती नौसर पत्नि भंवरलाल जाति गुर्जर,
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम नागेलाव तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. कमोद कंवर पुत्री भोल सिंह जाति राजपूत
2. जोर कंवर पुत्री भोल सिंह जाति राजपूत
3. प्रेम कंवर पुत्री भोल सिंह जाति राजपूत
4. सुमेर कंवर पत्नि गणपत सिंह जाति राजपूत
5. मीरा कंवर पत्नि गणपत सिंह राजपूत
6. कुलदीप सिंह पुत्र गणपत सिंह राजपूत
7. रतन सिंह पुत्र गणपत सिंह राजपूत
8. एस.बी.बी.जे. बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, दिनांक 12.02.2021 अंतर्गत प्रकरण संख्या 21 / 2017.

उपस्थितः—

1. श्री एन.के.जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 8.
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 26.07.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 12.02.2021, प्रकरण संख्या 21 / 2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि वर्तमान खसरा नम्बर 1104, 1105, 1106, 1107, 1741, 1742,1743, 1744, 1745, 1746 एवं 1747 की कृषि भूमि जो कि ग्राम गागेलाव तहसील पीसांगन में स्थित है जिसके वर्तमान जमाबंदी के अनुसार आवेदनकर्तागण खातेदार है । आवेदनकर्तागण के द्वारा आवागमन का 15 फुट चौड़ा रास्ता जो कि वर्तमान खसरा नम्बर 1762, 1763, 1748 से होकर आवागमन का रास्ते की मांग की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहसीलदार, पीसांगन जरिये गिरदावर हल्का एवं पटवारी हल्का के द्वारा मौका पर्चा नक्शा दिनांक 18.04.2017 प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् आवेदनकर्ता का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज.काश्तकारी अधिनिमय को खारिज करने के आदेश दिनांक 12.02.2021 को कर दिया गया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांटस एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई । रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 08 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि वर्तमान खसरा नम्बर 1104, 1105, 1106, 1107, 1741, 1742,1743, 1744, 1745, 1746 एवं 1747 की कृषि भूमि जो कि ग्राम गागेलाव तहसील पीसांगन में स्थित है जिसके वर्तमान जमाबंदी के अनुसार आवेदनकर्तागण खातेदार है। आवेदनकर्तागण की उक्त भूमि पर आवागमन का रास्ता जो कि वर्तमान खसरा नम्बर 1748, 1762, 1763 जो कि नागेलाव कालेसरा ग्रेवल मार्ग से पूर्व से लगते हुए खसरा नम्बर है,जो कि अप्रार्थी संख्या 01से 07 के खातेदारी की है में से एक मात्र रास्ता चला आ रहा है। उक्त रास्ता वर्णित खातेदारी की भमि के आवागमन का निकटतम रास्ता चला आ रहा है इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 के अनुसार भी मौका पर्चा रिपोर्ट एवं सलंग्न नजरी नक्शा के अनुसार भी अपीलार्थीगण की भूमि पर आवागमन का रास्ता जो कि नागेलाव से कालेसरा ग्रेवल सड़क मार्ग से 120 मीटर की दूरी पर पश्चिम खसरा नम्बर 1748, 1763, 1762 से होता हुआ है। गत 5 से 7 वर्षो से चला आया है, मौका पर्चा के अनुसार यह भी उल्लेख किया गया कि अपीलार्थीगण की भूमि पर आवागमन का उक्त रास्ता जो कि निकटतम रास्ता है तथा साथ ही मौका पर्चा में यह भी उल्लेख किया गया है कि मौका पर्चा में वर्णितानुसार रास्ता जो कि अपीलार्थीगण की कृषि भूमि से एक किलो मीटर की दूरी पर है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में जो तथाकथित रास्ता होने का उल्लेख किया गया है जबकि अपीलाधीन आदेश में दर्शाया रास्ता जबकि मौके पर रास्ता ही नही है बल्कि अन्य व्यक्तियों की खातेदारी की भूमि एंव खसरा नम्बर 1171 कि जिसमें बरसात के दिनो में पानी भरा रहता है, नदी, नाला है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया गया है कि यदि खातेदारान के रास्ता बंद कर दिया गया है तो जिसे खुलवाने के संदर्भ में तहसीलदार को भी आदेश दिया

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

गया जबकि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार का आदेश पारित किए जाने का अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही नहीं है फिर भी यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर आवागमन का रास्ता जो कि नागेलाव से कालेसरा ग्रेवल सड़क मार्ग से पूर्व से पश्चित होता हुआ वर्तमान खसरा नम्बर 1763, 1762 एवं 1748 में से होकर ही है एवं निकटतम रास्ता है जिसकी पुष्टि मौका पर्चा दिनांक 18.04.2017 से भी होती है, ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.02.2021 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा अपीलार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि जो कि अपील में दर्शाई गई पर आवागमन का रास्तो जो कि नागेलाव से कालेसरा ग्रेवल सड़क मार्ग के पूर्व से पश्चिम, खसरा नम्बर 1762, 1763 एवं 1748 से होकर 15 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावें एवं इस संदर्भ में जो भी रास्ते की भूमि के संदर्भ में राशि जो कि अपीलार्थीगण अदा करने को तैयार है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण विधि सम्मत पारित किया है। तहसीलदार, पीसांगन से मौका रिपार्ट तलब की जाकर आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांटस अपनी आराजी खसरा नम्बर 1104, 1105, 1106, 1107, 1741, 1742,1743, 1744, 1745, 1746 एवं 1747 की कृषि भूमि जो कि ग्राम गागेलाव तहसील पीसांगन पर आवागमन का रास्ता जो कि वर्तमान खसरा नम्बर 1762, 1763 जो कि नागेलाव कालेसरा ग्रेवल मार्ग से पूर्व से लगते हुए खसरा नम्बर है,जो कि अप्रार्थी संख्या 01से 07 के खातेदारी की है में से नये रास्ता चा रहा है उसकी दूरी पर्चा मौका अनुसार मात्र 120 मीटर है तथा मौके पर अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति, उपरात ही नही किया गया है तथा आदेश में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम ,लघुत्तम एवं दूरी बाबत् विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है। अधिनियम 1955 की धारा 251-क के प्रावधानो के अनुसार नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने के लिए दो चीजे आवश्यक है, आत्यान्तिक आवश्यकता होनी चाहिए ना कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिए एवं विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। इसी प्रकार का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 में अधिनियम, 1955 की धारा 251-ए को प्रभाव देने के लिए बनाये गये नियम 69 में भी स्पष्ट किया गया है कि 1-आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है एवं 2-किसी अन्य खातेदार की जोत से हो कर नये रास्तें के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होना आवश्यक है। आदेश में उपरोक्त कारणों का अभाव होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के द्वारा प्रकरण संख्या 21/2017 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2021 को निरस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 21/2017 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2021 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की सम्यक तामील की कार्यवाही कि जाकर जवाब/सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जावें एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के उपनियम 69 की पालना करते हुए तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी स्वयं मौका निरीक्षण कर रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता/लघुतम रास्ता /केवल सुविधाजनक रास्ता ना हों एवं विशेष कर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव के बिन्दुओ की विवेचना करतें हुए पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर